



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032022-234540
CG-DL-E-26032022-234540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]
No. 218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/चैत्र 4, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/CHAITRA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

सा.का.नि. 221(अ).—केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी गई हैं।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जा सकता है।
- (2) ये अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित है) के नियम 174 में उप-नियम (1) के क्रमांक(xi) में, मद (ग) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ग) जिसे इस अध्याय के प्रावधानों के तहत निर्दिष्टानुसार वाहन का एंड ऑफ लाइफ घोषित किया गया है; या"

3. उक्त नियमों के नियम 175 में, उप-नियम (4) की क्रम संख्या (ii) में, "विचार करते समय" शब्दों के पश्चात्शब्द "स्वचालित परीक्षण स्टेशन का संभावित उपयोग और" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 176 में

क. उप-नियम (1) में, पैराग्राफ 2 में "या ऑटोमोबाइल स्पेयर्स" शब्दों के पश्चात् "या वाहनों की स्कैपिंग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ख. उप-नियम (1) में, पैराग्राफ 3 में, "या ऑटोमोबाइल स्पेयर्स" शब्दों के पश्चात्, "या वाहनों की स्कैपिंग" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ग. उप-नियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के मालिक या ऑपरेटर का पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन करोड़ रुपये का कारोबार होगा।"

घ. उप-नियम (5) का विलोपन किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 177केउप-नियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"(1) संचालन के दौरान हितों का कोई टकराव नहीं होगा, जो उत्पन्न हो सकता है या जो एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के मालिक या ऑपरेटर के पेशेवर व्यवहार को प्रभावित या समझौता करने के लिए माना जा सकता है।"

6. उक्त नियमों के नियमों में नियम 178 के उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम को अंतःस्थापित किया जायेगा-

"(7) परिसर, जहां स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किया जाना है, या तो स्वामित्व वाला होगा या पट्टे पर लिया जाएगा या मालिक द्वारा कम से कम दस साल की अवधि के लिए किराए पर लिया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 181 में,

क. उप-नियम (6)केक्रम संख्या (ii) में, "स्वचालित रूप से प्रेषित किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "परीक्षण उपकरण से" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. उप-नियम (7) में, "और परीक्षण रिपोर्ट" शब्दों के पश्चात्, "प्रपत्र 69 में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ग. उप-नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(9) इन नियमों के तहत स्थापित स्वचालित परीक्षण स्टेशन, किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों को स्वीकार और परीक्षण कर सकता है।"

8. उक्त नियमों में, नियम 182केउप-नियम (3) में "एंड ऑफ लाइफ वाहन के रूप में घोषित" शब्दों के पश्चात् "या अनुपयुक्त जैसा भी मामला हो।" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 183केउप-नियम (1) में "अपीलीय प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात् "(क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) जहां वाहन पंजीकृत है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 189 के उप-नियम (1) में तालिका-घ के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी-

[सारणी घ]

क्रम सं.	मद	स्वचालित परीक्षा (हां/नहीं)	फिटमेंट की जांच करें।	दृश्यता कार्यात्मक परीक्षण	अधिक विवरण के लिए संदर्भ नियम/मानक विवरण	सूचना के लिए टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	हैंडलैंप डिप्ड बीम	हां	नहीं	कार्यात्मक	एआईएस-128	कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : गुजरने वाले बीम का क्षैतिज कट आफ सदैव हैंडलैंप केन्द्रीय रेखा से नीचे होगा और विचलन 0.5% से 2.5% के बीच होगा।
(2)	हैंडलैंप असेंबली	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 105 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो. 1) और ए आई एस-009 या ए आई एस 009 (संशो. 1)	दृश्यता निरीक्षण मानदंड: (i) बल्ब को काम करना चाहिए; (ii) हैंडलैंप आपरेटिंग स्विच को काम करना चाहिए; (iii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए ; (iv) लैंप का लेंस रंग से पुता नहीं होना चाहिए या उस पर स्टीकर नहीं चिपका होना चाहिए।
(3)	लाइट्स					
	(क) टाप लाइट्स	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 107, 108 और ए आई एस 008 या ए आई एस 008 (संशो. 1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) दो रंगों के लेंसवाले लैंपों के लिए, लाल रंग पीछे की ओर होगा और सफेद रंग आगे की

						ओर होगा; (v) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (vi) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ख) स्टाप लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 102, और ए आई एस 008 या ए आई एस 008 (संशो.1) और ए आई एस 009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप ब्रेक के प्रेरण पर काम करेगा ; (iv)लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ग) पार्किंग लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 109, और ए आई एस 008 या ए आई एस 008(संशो.1) और ए आई एस 009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(घ) कोहरा लैंप यदि लगाया गया है	नहीं	हां	दृश्यता	एआई एस-008 या एआई एस-008 9संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम

						करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ड.) एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 108 और ए आई एस 125 (भाग 1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(च)नंबर प्लेट लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 108 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) सफेद लाइट नंबर प्लेट को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग होगी ; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(छ)एंड-आउटलाइन मार्कर लैंप	नहीं	हां	दृश्यता	एआईएस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) एंड-आउटलाइन मार्कर लैंप की साज-समान सुरक्षित सुनिश्चित होना

						चाहिए ; (ii) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (iii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लाल रंग लेंस पीछे की ओर और सफेद लेंस आगे की ओर होना चाहिए ।
	(ज) दिशा सूचक	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 102 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस-009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) उत्सर्जित चमकते प्रकाश का रंग अंबर होगा ; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैंप को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए ।
	(झ) खतरा चेतावनी संकेत लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) उत्सर्जित चमकते प्रकाश का रंग अंबर होगा; (ii)स्विच के उपयोग द्वारा सभी दिशाओं के सूचक लैंपों के समक्षणिक प्रचालन सुनिश्चित करना
(4)	सप्रेसर कैप/उच्च टेंशन केबल	नहीं	हां	दृश्यता		दृश्यता परीक्षण मानदंड: (क) सप्रेसर कैप:

						(i) सप्रेसर कैप अच्छी स्थिति में नहीं होगा (ख) उच्च टेंशन केबल : (i) उच्च टेंशन केबल उचित रूप से विद्युत-रोधी होगी; (ii) उचित टर्मिनल संयोजन उच्च टेंशन केबल के दोनों तरफ बने होंगे ।
(5)	पीछे देखने के लिए शीशा	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 125(2) और ए आई एस-002 (भाग-1) और (भाग -2) (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: ए आई एस 002 (भाग-1)/ (भाग-2) (संशो.1) ; के अनुसार अपेक्षित श्रेणी के शीशे का साज़ समान सुनिश्चित होना चाहिए ; प्रतीक I/II /III /IV /V / VI/ VII उस श्रेणी को विनिर्दिष्ट करता है जिससे शीशे की श्रेणी संबंधित है, शीशे को बनाने के लिए सुनिश्चित की जाएगी ; अच्छी स्थिति में शीशे का साज़ समान सुनिश्चित किया जाएगा ।
(6)	सुरक्षा शीशा (विंडस्क्रीन)	नहीं	हां	दृश्यता	(क) नियम 100 और आई एस: 2553 (भाग 2) (ख) 1 अप्रैल, 2021 से रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस बना रहा है ।	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) फास्ट टैग/ परिमिट्स/ बैज से शीशे के टूटने के सिवाय, विंडस्क्रीन पारदर्शी होगा; (ii) विंडस्क्रीन के उपयोग के लिए लैमिनेटेड सुरक्षा

						शीशा साफ होगा और आई एस : 2553 (भाग 2) में यथा विनिर्दिष्ट ट्रेडमार्क या विनिर्माता के लोगो के अतिरिक्त “एस डब्लू” या II या IV या II/पी के निशान होंगे ; (iii) शीशा क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए रंगीन झिल्ली शीशे पर नहीं चिपकी होगी ।
(7)	हॉर्न	नहीं	हां	दृश्यता और कार्यात्मक	आई एस-1884 नियम 119 और आई एस 15796	(1) दृश्यता परीक्षण मानदंडः (i) विभिन्न स्वरों का अनुक्रमण देने वाले मल्टीटोंड हॉर्न या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली युक्ति जो अनुचित रूप से कर्कश, कर्णभेदी, कोलाहलपूर्ण या डरावनी आवाज निकालते हों, का उपयोग नहीं किया जाएगा ; (ii) हॉर्न सुरक्षित तरीके से फिट होगा; (iii) हॉर्न क्रियाशील होगा (2) कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : मोटर पर लगे हार्न का ध्वनि दाब स्तर आई एस :15796 के अनुसार होगा ।
(8)	(क) ध्वनिमंदक	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 120 और आई एस 10399:1998	दृश्यता परीक्षण मानदंडः (i) सुनिश्चित करें कि कोई निःसरण नहीं हो रहा है;
	(ख) उत्सर्जित शोर परीक्षण (डीबी)	नहीं	नहीं	कार्यात्मक		

						(ii) ध्वनि मंदक की फिटिंग सुरक्षित करें; (iii) ध्वनिमंदक जंग लगा या क्षतिग्रस्त नहीं होगा ; कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : आई एस : 10399: 1998 के अनुसार स्थिर शोर परीक्षण
--	--	--	--	--	--	---

(9)	हवा रोक शीशा वाइपर					
	(क) हवा रोक शीशा वाइपर फलक	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 101, ए.आई.एस-045आई.एस.15804 और आई एस 15802	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) वाइपर फलकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना; (ii) वाइपर फलक अच्छी दशा में होना चाहिए
	(ख) हवा रोक शीशा वाइपर प्रणाली	नहीं	हां	कार्यात्मक	नियम 101, ए.आई.एस.-045, आई एस :15804 और आई एस :15802	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) हवा रोक शीशे के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादन के लिए प्रत्येक वाइपर बाहु (बाहुल) प्रचालन सुनिश्चित करना (ii) तिपहिया वाहन से भिन्न यानों के लिए हवा रोक शीशा इस प्रकार विखंडन में, वाइपर प्रत्येक हवा रोक शीशा के लिए करणीय होगा वाइपर सुनिश्चित रूप से फिट किया जाएगा ।
(10)	डैश बोर्ड उपस्कर	नहीं	हां	दृश्यमान	ए.आई.एस-071 (भाग 1)	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) आरोहण सुरक्षित को सुनिश्चित करना (ii) तार विद्युत रहित होगा (iii) डैश बोर्ड प्रदीपन कार्यात्मक होगा (iv) एडीएस, लाइट, ब्रेक प्रणाली, बैटरी चार्जिंग ओ बी डी या खराब इंजन, इंधन लेबल, इंजन ऑयल प्रेशर, इंजन कूलेंट तापमान

						के लिए चेतावनी लाइट शेष प्रदीपन नहीं होगा।
(11)	रेचन					
	(क) रेचन गैस उत्सर्जन- CO%	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(i)- तालिका	पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित यानों पर लागू
	(ख) रेचन गैस उत्सर्जन- एचसी (पीपीएम)	हां	नहीं			
	(ग) रेचन गैस उत्सर्जन (उच्च मानक उत्सर्जन)- CO%	हां	नहीं		नियम 115 (2)(i)- तालिका क	भारत स्टेज -IV अथवा भारत स्टेज VI मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल चालित यानों पर लागू
	(घ) रेचन गैस उत्सर्जन (उच्च मानक उत्सर्जन)- लाम्बडा	हां	नहीं			भारत स्टेज -IV अथवा भारत स्टेज VI मानकों के अनुसार निर्मित पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित यानों पर लागू
	(ड.) धुआं घनत्व (डीजल यानों के लिए निःशुल्क त्वरण परीक्षण के लिए लागू)	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(ii)- तालिका	डीजल संचालित यानों पर लागू।
(12)	ब्रेकिंग प्रणाली					
	(क) सर्विस ब्रेक	हां	हां	दृश्यमान और कार्यात्मक	ए.आई.एस - 128	(I) दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) जुड़नार सुरक्षित किया जाएगा; (ii) ब्रेक क्षेत्र क्षति या दरक नहीं होगी; (iii) ब्रेक द्रव का रिसाव न हो; (II) कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं रोलर पर परिभिव ब्रेकिंग निपुणता ब्रेक परीक्षण कम से कम 27.23 प्रतिशत होनी चाहिए।
	(ख) पार्किंग ब्रेक	हां	हां	दृश्यमान और कार्यात्मक		
(13)	परिचालन गियर	हां	हां	कार्यात्मक	नियम 98	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं बैंक लैश/ परिचालन गियर में 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा।
(14)	तरफ फिसलन परीक्षण	हां	नहीं	कार्यात्मक	विनिर्देशन के अनुसार	

	(3-चौपहियों के सिवाए यानों के सभी प्रवर्गों के लिए यह परीक्षण लागू होता है)					
(15)	प्रलंबन परीक्षण (3- तिपहियों अपवर्जित 3.5 तक जी. वी. डब्ल्यू यानों के लिए लागू)	हां	नहीं	कार्यात्मक	-	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं: अंतर के बीच प्रलंबन प्रणाली वाए अनुपुरक नहीं है और यान दाहिने की तरफ हो ।
(16)	जोड़ गतिविधि परीक्षण	हां	हां	दृश्यमान कार्यात्मक	-	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (क) प्रलंबन प्रणाली : (i) चेजिज या धूरी के लिए स्प्रिंग और धक्का अवशोषक के आसंग को सुरक्षित को सुनिश्चित करना; (ii) स्प्रिंगों को क्षतिग्रस्त या विभंजित नहीं होगा; (iii) धक्का अवशोषक अवमंदकों में किसी तेल में रिसाव नहीं होगा; (iv) चूल छल्ला पिन या प्रवणी या प्रलंबन जोड़ों पर अधिक घटित नहीं होगा ; (v) वायु प्रलंबन के मामले में श्रवण योग्य प्रणाली में रिसाव ना सुनिश्चित करना (ख) धूरी : (i) धूरी यान को आवद्ध सुरक्षित करना ; (ii) धूरी को विभंजित या विकृत नहीं होगा ; (iii) चूलछल्ला या पिन या प्रवणी में अत्यधिक पहनना घटित नहीं होगा ।
(17)	स्पीडोमीटर					
	(क) स्पीडोमीटर	हां	हां	दृश्यमान	नियम 117 और आई एस 11827-2008	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) सुरक्षित ठीक किया गया ; (ii) पर्याप्त रूप से प्रदीपन

						करना; (iii) डायल आच्छदन खंडित नहीं होगा; (iv) संकेतक सुई का परिचालन ।
	(ख) स्पीडोमीटर परीक्षण (ई-रिक्शा या ई-छकड़ा के लिए)	हां	नहीं	कार्यात्मक	विनिर्देशन के अनुसार	सीधा या सपाट सड़क पर बिना लक्ष्य की दशा (पूर्ण भाड़ा के साथ और पूर्ण संकलक पर की स्थिति पर) बिना लादे में यान संचालन होगा और जब यान पूर्ण गति प्राप्त करता है, अधिक गति नियतन दूरी (अर्थात् 50 मीटर) यात्रा को समय लेने पर माप द्वारा परिकलित किया जाएगा ।
(18)	चालन संरक्षण के अधीन पृष्ठ भाग युक्ति एन 2, एन 3, टी 3 और टी 4 के लिए युक्ति	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 124(1क) और आई.एस. 14812-2005	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) पृष्ठ भाग अधो सवारी संरक्षण दरकदार, संक्षरित या क्षतिग्रस्त नहीं होगा ; (ii) यह सुनिश्चित करना कि भूमि निकासी और पृष्ठ भाग अधो सवारी संरक्षण मुक्ति आई एस. 14812-2005 के अनुसार होगा ।
(19)	एन 2, एन 3, टी 3 और टी 4 के लिए चलने के लिए अधीन पाशर्वीय	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 124 (1क) और आई 14682-2004	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) चालन संरक्षण युक्ति के अधीन पाशर्वीय फिट किया जाएगा ; (ii) युक्ति संरक्षण चालन के अधीन पाशर्वीय दरकदार संक्षरित या क्षतिग्रस्त नहीं होगा ; (iii) सुनिश्चित करना कि संरक्षण युक्ति चालन के अधीन पाशर्वीय आई. एस. 14682-2004 के अनुसार होगा।
(20)	शीघ्रगामी चिप्पी	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 138(क)	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) ध्वारोक शीशा मुख पर चिपकाया जाए ; (ii) शीघ्रगामी चिप्पी

						क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए ।
(21)	विभिन्न रूप से योग्य यात्रियों और गतिशीलता मेंकमी यात्रियों के साथ के लिए पूर्वीकता सीटों पर पूर्वीकता सीटें, संकेत सहारों को सुरक्षित होना/बेंत/पक्ष पदाचारी हस्त रेल धूनी	नहीं	हां	दृश्यमान	उप-नियम(1) और नियम 125 ग का 7, ए.आई. एस. 052(पुनरीक्षित 1) और ए.आई.एस 153	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) पूर्वीकता सीट के साथ फिट की गई बसें बाहर से दृश्यमान चित्रलेख होगा, बस की तरफ पास मुख्य दोनों ओर सुसंगत सेवा द्वार के लिए निकटवर्ती हों ; (ii) चित्रलेख पूर्वीकता सीट के लिए आंतरिक निकटवर्ती स्थान होगा ; (iii) सभी प्रकार की बसें मिनी और मध्य बसों के मामले में सीटों में कम से कम दो यात्री होंगे और निश्चित व्यक्तियों के लिए पूर्वीकता सीटों के रूप में अभिहित अन्य बसों के मामले में चार यात्री होंगे । (iv)अग्रवर्ती-अग्रभाग प्रकार की पूर्वकता सीटें केवल होगी और अधिमानता चालक की सीट के पीछे अवस्थित होगी । (v) अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुकर करने के लिए क्रच, बेत/ पदचारी सुरक्षित करने के लिए पूर्वीकता सीटे समुचित सुविधा प्रदान की जाएगी (vi)सभी प्रकार की बसें प्रवेश हस्थरेल या थमने को प्रदान किया जाएगा (vii) ठहरावों की आवश्यकता के लिए पूर्वीकता सीटों को सभी प्रकार आई एन डी एक्स बसें समीप नियंत्रणों को प्रदान किया जाएगा और जो चालक चेतावनी देता है कि बिना चढ़े के लिए उपयोक्ता इच्छा से

						गतिशील हो । (viii) किसी पूर्वीकता सीट के लिए संचार युक्तियों को सभी परखा जाएगा ।
(22)	विभिन्न रूप से योग्य विभिन्न यात्रियों के लिए व्हील चेअर प्रवेश आवासन अभिवंधन के लिए व्यवस्था और कमी गतिशीलता के साथ यात्री	नहीं	हां	दृश्यमान	उप-नियम (1) और (7) 125 ग ((पुन 1) और ए.आई एस.-153	दृश्यमान मानदंड : (i) बाहर की तरफ से पिकटोग्राम बसें स्थान में व्हील चेअर को फिट किया जाएगा, बस की तरफ बाहर दोनों अग्रभाग पर और सुसंगत सेवा द्वार के समीप हो (ii) उपदर्शन स्थान प्रत्येक व्हील चेअर के लिए पिकटोग्राम में से एक आरंभिक रूप से रखा जाएगा चाहे बस के अग्र या रियर अग्र भाग मुख्य भाग स्थिति में होना चाहिए । (iii) व्हील चेअर रोक योग्य रोक प्रणाली स्थान में प्रदान किया जाएगा । (iv) व्यक्ति की सहायता के बिना को व्हीर चेयर उपयोक्ता के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करना । (v) प्रकार के यानों को व्हील चेअर उपयोक्ता व्हीव चेअर कम से कम स्थान की पहचान को क्षेत्र होगा । (vi) संचार युक्तियां व्हील चेअर क्षेत्र पहचाने के भीतर स्थित होगा ।
(23)	यान स्थापन पथन (वीएलवी) युक्ति	नहीं	हां	दृश्यमान	ए.आई.एस.140	दृश्यमान निरीक्षण मान दंड : (i) यान स्थापन अवसंस्थित किया जाएगा ; (ii) आपात चेतावनी बटन कार्य कर रहा है ।
(24)	उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम और ए. आई. एस-159	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड :

						(i) मुख पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों को संस्थापित किया जाएगा। (ii) सुरक्षित तरीके से लगाया जाए।
--	--	--	--	--	--	---

(25)	बैटरी	नहीं	हां	दृश्य	-	दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुरक्षित आधार; (ii) सुनिश्चित करें कि कोई रिसाव न हो; (iii) सुनिश्चित करें ऊपरी सतह स्वच्छ, शुष्क, धूल और कालिक से मुक्त हो।
(26)	सुरक्षा बैल्ट (सीट बैल्ट)	नहीं	हां	दृश्य	नियम 125 (1-क) और एआईएस-015 या आईएस 15140:2003	दृश्य निरीक्षण प्राचल: आज्ञापक सुरक्षा बैल्ट उपलब्ध होगी और सुरक्षित रूप से लगी हुई होगी; (i) सुरक्षा बैल्ट क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए; (ii) सुरक्षा बैल्ट स्थिरक ढीला नहीं हो; (iii) सीट बैल्ट अनुस्मारक प्रणाली, यदि उपलब्ध हो तो कार्य करनी चाहिए।
(27)	गति नियंत्रक	हां	हां	दृश्य और क्रियाशील	नियम:118 और एआईएस-018	(I). दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुरक्षित रूप से लगा हुआ हो ; (ii) गति नियंत्रक सीलबद्ध होना चाहिए ; (iii) गति नियंत्रक के बिजली तार असंस्कृत नहीं हो ; (II) क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: (i) 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन

						प्रवर्ग के प्रत्येक परिवहन मोटर यान के लिए 80 कि.मी./घं. ; (ii) 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात विनिर्मित परिवहन यानों के लिए जो डंपर, टैंकर, स्कूल बस है, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं या ऐसे अन्य प्रवर्ग के यान, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिकतम गति सीमा 60 कि.मी./घं. या अन्य कोई गति सीमा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए होगी।
(28)	फुआरा निरोध युक्ति	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-013 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: सुरक्षित रूप से लगे हुए फुआरा निरोध युक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
(29)	टायर	नहीं	हां	दृश्य	नियम 94 और नियम 95	दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) टायर में कोई भारी नुकसान या कटा हुआ न हो (वल्कनित मरम्मत से भिन्न बाहरी गुल्फत्राण पैवंद द्वारा पैवंद लगाया हुआ या मरम्मत किया हुआ) ; (ii) विनिर्माण के समय टायरों में लगे हुए तल्ला घिसाव उपदर्शक (पीडब्ल्यूआई) से नीचे तिपहिया यान, चौपहिया यान, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की दशा में गैर फिसलन गहराई (एनएसडी) 0.8 मि.मि. और अन्य मोटर यानों की दशा में 1.6

						मि.मी. से कम न हो ; (iii) टायर में ठीक से हवा भरी हो; (iv) टायर, स्थानीय विकृति या उभाड़ द्वारा आरंभिक खराबी के चिन्ह नहीं दर्शाता हो; (v) टायर आवरक वस्त्र, तल्ले के घिसने या किसी अन्य वल्कनित सिरे या उसके किसी भाग में अपघर्षण के कारण प्रदर्शित नहीं होता हो ; (vi) अस्थायी अतिरिक्त पहिया या टायर पंचर मरम्मत किट उपलब्ध हो ।
(30)	प्रति-परावर्तक और परावर्तक टेप	नहीं	हां	दृश्य	नियम:104, एआईएस-090 और एआईएस-037, एआईएस-057 और एआईएस-057 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: (अ) परावर्तक- (i) स्वच्छ परावर्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ; (ii) परावर्तक सुरक्षित रूप से लगे हों ; (iii) परावर्तक क्षतिग्रस्त अवस्था में न हों ; (iv) यह सुनिश्चित करें कि परावर्तकों का रंग, नियम 104 के अनुसार हो अर्थात् पीछे के लिए लाल रंग और आगे के लिए सफेद रंग । (आ) परावर्तक टेप – (i) स्वच्छ परावर्तक टेप की उपस्थिति सुनिश्चित करें ; (ii) यान के ढांचे में सुरक्षित रूप से लगा हुआ हो ; (iii) यह सुनिश्चित करें कि परावर्तक टेप का रंग और अवस्थिति, नियम 104 के अनुसार हो ;

						(iv) परावर्तक टेप क्षतिग्रस्त न हो ; (v) चिन्ह, दृश्य हो, अंकन सामग्री के बाहर स्पष्ट रूप से सुपाठ्य हो और अमिट ।
विद्युत यानों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक (ईवी) और पावर ट्रेन वाहनों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण						
(31)	विद्युत आघात से संरक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	नहीं	दृश्य और क्रियाशील	एआईएस-038 (आरईवी.1)	(1) दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुनिश्चित करें कि प्रवेश स्लाइड विद्युन्मय भागों को स्पर्श न करें ; (ii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष से भिन्न आईपीएक्सएक्सवी क्षेत्र के लिए परीक्षण की दशा में संयुक्त परीक्षण फिंगर को उसकी 80 मि.मी. लंबाई तक प्रवेश कराया जा सकेगा किंतु रोधन फलक (50 मि.मी. X20 मि.मी. व्यास) द्वार के माध्यम से बाहर न निकलें ; (iii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष के भीतर आईपीएक्सएक्सडी परीक्षण की दशा में प्रवेश सलाई को उसकी पूरी लंबाई में प्रवेश कराया जा सकेगा लेकिन रोधन फलक द्वार के माध्यम से पूरी तरह प्रवेश न करें । (2) क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: (i) जब आईपीएक्सएक्सवी और आईपीएक्सएक्सडी की अपेक्षाएं सलाई और विद्युन्मय भागों के मध्य संकेत परिपथ द्वारा सत्यापित की जाती हैं तो यह सुनिश्चित करें कि बत्ती न जले ।

(32)	रोधन प्रतिरोध माप परीक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वाल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	नहीं	दृश्य	एआईएस-038 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: रोधन प्रतिरोध माप 500Ω/वी से अधिक होना चाहिए।
(33)	डैश बोर्ड पर चार्ज की अवस्था का उपदर्शक (एसओसी) एआईएस-038 हो आरईवी.1)	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-038 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: विनिर्माता द्वारा आपूर्ति किया गया एसओसी उपदर्शक बैटरी की चार्जिंग प्रास्थिति को देखने के लिए चालू हालत में होना चाहिए।
दुपहिया यानों पर किए जाने वाले परीक्षण						
(34)	हैड लाइट	हां	हां	क्रियाशील और दृश्य	एआईएस-009 (आरईवी.1): 2011, खंड संख्या 6.2.5.2	उस दशा के सिवाय जहां एक बाहरी समायोजन युक्ति उपस्थित है, पासिंग बीम हैड लैंप का उर्ध्वाधर ढाल 0.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत के मध्य रहना चाहिए।
(35)	रेचन					
	(क) रेचन गैस उत्सर्जन- CO%	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(i)- तालिका	
	(ख) रेचन गैस उत्सर्जन- एचसी (पीपीएम)	हां	नहीं	कार्यात्मक		
	(ग) रेचन गैस उत्सर्जन (उच्च मानक उत्सर्जन)- CO%	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(i)- तालिका क	
	(घ) रेचन गैस उत्सर्जन(उच्च मानक उत्सर्जन)- लाम्बडा	हां	नहीं	कार्यात्मक		
(36)	रोलर ब्रेक परीक्षण	हां	हां	क्रियाशील		
दुपहिया विद्युत यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण						
(37)	विद्युत आघात से संरक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वाल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी	नहीं	नहीं	दृश्य और क्रियाशील	एआईएस-038 (आरईवी.1)	(1)दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुनिश्चित करें कि प्रवेश स्लाइव विद्युन्मय

तिपहिया वाहनों के अलावा अन्य वाहनों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण

(39)	संकेतक लैंप में खराबी – एमआईएल(ओबीडीस्कैन हूल का हिस्सा)	नहीं	नहीं	दृश्य	सीएमवीआर 198 9 के अनुसार	यदि एमआईएल "चालू" है, तो यह उत्सर्जन सर्किट विच्छिन्नता को इंगित करता है।
------	--	------	------	-------	-----------------------------	---

तालिका-घ(जो केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है, वाहन के स्वास्थ्य के बारे में मालिक को सूचित करता है) के अनुसार क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 को छोड़कर उपरोक्त में से किसी भी परीक्षण (णों) में विफल होने वाला वाहन को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वाहन के पंजीकृत मालिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पास इस तरह के परिणाम के तीस दिनों के भीतर, जैसा कि प्रारंभिक निरीक्षण की परीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट दोष (त्रुटियों) को ठीक करने के बाद, पुनः परीक्षण के लिए आवेदन करने का अवसर होगा। ऐसे वाहन का केवल उन परीक्षण (परीक्षणों) के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा जो प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान विफल रहे।

प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान, यदि वाहन तालिका-घ की क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण (परीक्षणों) में विफल रहता है और इस तरह के परिणाम के तीस दिनों के भीतर पुनः परीक्षण नहीं किया जाता है, तो ऐसे वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा।

पुनः परीक्षण के दौरान, यदि वाहन प्रारंभिक परीक्षण में विफल सभी परीक्षण (परीक्षणों) को पास करता है, तो इसे फिट घोषित किया जाएगा। हालांकि, पुनः परीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि वाहन तालिका-घ की क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38, में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण में विफल रहता है, वाहन के प्रकार के अनुसार जैसा भी मामला हो, तो ऐसे वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा। यदि पुनः परीक्षण के दौरान, तालिका-घ की क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 में निर्दिष्ट परीक्षणों को छोड़कर, कोई वाहन किसी भी परीक्षण में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को अनफिट घोषित किया जाएगा।

यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण (आंशिक या पूर्ण परीक्षण) का आदेश दिया जाता है और

- यदि वाहन तालिका-घ की क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण (परीक्षणों) में विफल रहता है, तो ऐसा वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ईएलवी) घोषित किया जाएगा।
- यदि वाहन उपरोक्त (i) में सूचीबद्ध परीक्षणों के अलावा और तालिका-घ(जो केवल सूचना के उद्देश्य से हैं) की क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 को छोड़कर किसी भी परीक्षण में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।
- यदि वाहन सभी परीक्षण (तालिका-डी के क्रमांक 14, 15, 16, 17 (ए) और 39 को छोड़कर, जो केवल सूचना के उद्देश्य के लिए हैं) को पास करता है, तो ऐसे वाहन को फिट घोषित किया जाएगा।

प्रत्येक मद के सामने उद्धृत संदर्भ और मानक इंगित करते हैं कि ये प्रावधान, तालिका-घ, जो वाहन के स्वास्थ्य के बारे में पंजीकृत मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए है, की क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 को छोड़कर, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 और संबंधित एआईएस / आईएस में मौजूद हैं। ये तारीख के अनुसार मान्य हैं और समय-समय पर संशोधित के रूप में लागू होंगे।

व्याख्या - किसी भी संशय को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मद जैसे, फास्टैग, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी), सुरक्षा बेल्ट (सीटबेल्ट), बैटरी आदि, जिनका परीक्षण उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) के अनुसार स्वचालित परीक्षण उपकरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, उनका परीक्षण इन नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।"

11. उक्त नियमों के नियम 190 के उप-नियम (5) में तालिका-च के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी -

[सारणी-च]

क्र.सं.	उपकरण	तकनीकी विनिर्देश	
		हल्के वाणिज्यिक यान	मध्यम और भारी वाणिज्यिक यान
1.	रोलर ब्रेक परीक्षक	(क) अधिकतम माप योग्य ब्रेक भार कम से कम 6 केएन हो (ख) बायीं और दायीं ब्रेकिंग क्षमता में अंतर (ग) ब्रेक भार वियोजन ≤ 100 एन (घ) उपयुक्त रोलर का व्यास, लंबाई और पृथक्करण इस नियम के खंड (7) में दी गई मैट्रिक्स के अनुसार हो (ङ) यान में आसानी से निकास के लिए रोलर को उठाने और रोकने के लिए उपबंध (च) आसन्न परीक्षण गति: 5 कि.मी./घं. ± 1 कि.मी./घं. (छ) रोलर की सतह i. न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (समर्थक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है) ii. सेवा अवधि: न्यूनतम 25000 घंटे (ज) माप शुद्धता – मापे गए मान का ± 1 प्रतिशत तिपहिया यानों के परीक्षण के लिए आगे के पहिए के लिए एक अतिरिक्त रोलर हल्के वाणिज्यिक यान पथ में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यह इस प्रकार अवस्थित हो कि आगे के पहिए का उचित रूप से परीक्षण किया जा सके।	(क) अधिकतम माप योग्य ब्रेक भार कम से कम 40 केएन हो (ख) बायीं और दायीं ब्रेकिंग क्षमता में अंतर (ग) ब्रेक भार वियोजन ≤ 100 एन (घ) उपयुक्त रोलर का व्यास, लंबाई और पृथक्करण इस नियम के खंड (7) में दी गई मैट्रिक्स के अनुसार हो (ङ) यान में आसानी से निकास के लिए रोलर को उठाने और रोकने के लिए उपबंध (च) आसन्न परीक्षण गति: न्यूनतम 2.5 कि.मी./घं. (छ) रोलर की सतह (ज) न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (समर्थक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है) (झ) सेवा अवधि: न्यूनतम 25000 घंटे (ञ) माप शुद्धता – मापे गए मान का ± 2 प्रतिशत
2.	धुरी भार माप	(क) प्रत्येक धुरी भार के माप के लिए भार तोलन स्केल अपेक्षित है। प्रणाली को इसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार/चक्का भार द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए। धुरी भार माप प्रणाली को या तो सस्पेंशन टेस्टर या रोलर ब्रेकर टेस्टर उपकरण से अलग या समेकित किया जा सकता है। (ख) माप रेंज: 0 कि.ग्रा. - 3000 कि.ग्रा. (ग) वियोजन 5 कि.ग्रा. (घ) विशुद्धता ± 1 प्रतिशत	(क) प्रत्येक धुरी भार के माप के लिए भार तोलन स्केल अपेक्षित है। प्रणाली को इसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार/चक्का भार द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए। धुरी भार माप प्रणाली को या तो सस्पेंशन टेस्टर या रोलर ब्रेकर टेस्टर उपकरण से अलग या समेकित किया जा सकता है। (ख) माप रेंज: 0 कि.ग्रा. - 15000 कि.ग्रा. (ग) वियोजन 5 कि.ग्रा. (घ) विशुद्धता ± 1 प्रतिशत
3.	सस्पेंशन टेस्टर	(क) एक्साइटेशन का आयाम 6.5	

		मि. मी. +/-5 मि. मी. (ख) माप सटीकता-±1% पहिया भार	
4.	साइड स्लिप टेस्टर	(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/किमी (ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी (घ) सटीकता ± 1.0 मी/किमी होगी।	(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/किमी (ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी (घ) सटीकता ± 1.0 मी/किमी होगी।
5.	ज्वाइंट प्ले टेस्टर	(क) कम से कम 06 के.एन प्रति प्लेट अधिकतम बल (ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :50-80 मि. मी. (हाइड्रोलिक)	(क) कम से कम 30 के एन प्रति प्लेट अधिकतम बल (ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :100 मि. मी. (हाइड्रोलिक)
6	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर	(क) ± 30 डिग्री तक के कोणीय गति तक की माप में सक्षम (ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र (ग) माप सटीकता-±2% पूर्ण माप विचलन	(क) ± 30 डिग्री तक के कोणीय गति तक की माप में सक्षम (ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र (ग) माप सटीकता-±2% पूर्ण माप विचलन
7	अर्ध स्वचालित हेड लाइट परीक्षक	(क) लाइट इंटेंसिटी रेंज माप (न्यूनतम): 0-100,000 सीडी (ख) रोशनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स (ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टेस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए । (घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: ±50 सेमी / 10 मीटर (± 5%)। (ङ) तीव्रता अधिकतम विचलन: ±5% प्रसार । (च) हेडलैम्प टेस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है। (छ) झुकाव मापक में अधिकतम विचलन	(क) लाइट इंटेंसिटी रेंज माप (न्यूनतम): 0- 100,000 सीडी (ख) रोशनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स (ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टेस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए । (घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: ± 50सेमी / 10 मीटर (± 5%)। (ङ) तीव्रता अधिकतम विचलन: ±5% प्रसार । (च) हेडलैम्प टेस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है। (छ) झुकाव मापक में अधिकतम विचलन (वाहन ओरिएंटेशन): ±0.1%

		(वाहन ओरिएंटेशन): $\pm 0.1\%$	
8	ओपेसीमीटर	एम ओ आर टी एच/ केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 (भाग 8) के अनुसार विनिर्देश को पूरी करने के लिए उपकरण।	(क) एम ओ आर टी एच/ केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 (भाग 8) के अनुसार विनिर्देश को पूरी करने के लिए उपकरण।
9	निकास गैस विश्लेषक	(क) उपकरण को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए (ख) सुसंगतनियम 115 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम सीमा (ग) मीजरिंग रिज़ॉल्यूशन को निम्नलिखित के रूप में होना है : (i) सीओ: 0.01%	(क) उपकरण को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए (ख) सुसंगत नियम 115 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम सीमा (ग) मीजरिंग रिज़ॉल्यूशन को निम्नलिखित के रूप में होना है : (i) सीओ: 0.01%
		(ii) सीओ₂: 0.1% (iii) एचसी: 1पीपीएम (iv) ओ₂: मापित मानों के लिए $0.02\% \leq 4\%$ और मापित मानों के लिए $> 4\%$ (v) लैम्ब्डा: 0.001 आरएमपी काउंटर- 10 आरपीएम (घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन ± 20 आरपीएम या रीडिंगका $\pm 2\%$ होगा, जो भी अधिक हो। (ड.) निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है। (ii) निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल किया जाना है।	(ii) सीओ₂: 0.1% (iii) एचसी: 1पीपीएम (iv) ओ₂: मापित मानों के लिए $0.02\% \leq 4\%$ और मापित मानों के लिए $0.1\% > 4\%$ (v) लैम्ब्डा: 0.001 आरएमपी काउंटर- 10 आरपीएम (घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन ± 20 आरपीएम या रीडिंगका $\pm 2\%$ होगा, जो भी अधिक हो। (ड.) निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है। (ii) निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल किया जाना है।
10	स्पीडोमीटर	(क) इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिए गए	(क) इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिए गए

	टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर	मैट्रिक्स के अनुसार ट्रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम (ख) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान (ग) मापने की सीमा: 20-160 किमी/घंटा (घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी / घंटा (ङ) सटीकता : दर्शाए गए पठन का $\pm 1\%$	मैट्रिक्स के अनुसार ट्रैक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम (ख) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान (ग) मापने की सीमा: 20-100 किमी/घंटा (घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी/घंटा (ङ.) सटीकता : दर्शाए गए पठन का $\pm 1\%$
11	ध्वनि स्तर मीटर	(क) आईईसी60651/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित (ख) मापने का स्तर: ≥ 30 डीबी से ≤ 120 डीबी (ग) फ्रीक्वेंसी क और ग घ) सटीकता - ± 1.5 डीबी ङ) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया च) 220वीएसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पॉवर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना (छ) रेजोल्यूशन :0.1 डीबी परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।	(क) आईईसी60651/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित (ख) मापने का स्तर: ≥ 30 डीबी से ≤ 120 डीबी (ग) फ्रीक्वेंसी क और ग घ) सटीकता - ± 1.5 डीबी ङ) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया च) 220वीएसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पॉवर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना (छ) रेजोल्यूशन :0.1 डीबी परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।

12	ओबीडी स्कैन टूल	(क) अनुपालना: एसआईजे1979, एसआईजे1939 और आईएसओ27145 के अनुसार ओबीडीआईआई/ईओबीडी /एचडी-ओबीडी/डब्ल्यूडब्ल्यूएच-ओबीडीस्कैन-टूल (ख) सभी ओबीडी मोड में सहायक होना चाहिए (ग) निदान संचार माध्यम समर्थित: केडब्ल्यूपी2000 (के-लाइन, सीएनटीपी2.0 और आईएसओ-	(क) अनुपालना: एसआईजे1979, एसआईजे1939 और आईएसओ27145 के अनुसार ओबीडीआईआई/ईओबीडी /एचडी-ओबीडी/डब्ल्यूडब्ल्यूएच-ओबीडीस्कैन-टूल (ख) सभी ओबीडी मोड में सहायक होना चाहिए (ग) निदान संचार माध्यम समर्थित: केडब्ल्यूपी2000 (के-लाइन, सीएनटीपी2.0 और आईएसओ-
----	-----------------	---	---

		सीएएन), यूएसडी (आईएसओ-सीएएन)	सीएएन), यूएसडी (आईएसओ-सीएएन)
13	टेस्ट फिंगर्स (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए)	क. आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी टेस्ट फिंगर्स	क. आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी टेस्ट फिंगर्स
14	इन्सुलेशन टेस्टर (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए)	(क) रेटेड मापकवोल्टेज: 500वीडीसी / एसी तक (45 से 65 हर्ट्ज) (ख) मापने की सीमा: 10kΩ से 100MΩ या बेहतर (ग) सटीकता: 10MΩ तक $\pm 2\%$ रीडिंग और 10MΩ से ऊपर $\pm 5\%$ रीडिंग	(क) रेटेड मापकवोल्टेज: 500वीडीसी / एसी तक (45 से 65 हर्ट्ज) (ख) मापने की सीमा: 10kΩ से 100MΩ या बेहतर (ग) सटीकता: 10MΩ तक $\pm 2\%$ रीडिंग और 10MΩ से ऊपर $\pm 5\%$ रीडिंग

दुपहियों के प्रशिक्षण के लिए उपकरणों का तकनीकी विनिर्देश

15.	रोलर ब्रेक टेस्टर	मानदंड	तकनीकी विनिर्देश
		(क) प्रत्येक पहिया लिए अधिकतम भार चार्ज	1 टी
		(ख) अधिकतम मापयोग्य ब्रेक भाग	3 के एन
		(ग) न्यूनतम रोलर व्यास	200 एम एम
		(घ) न्यूनतम रोलर पृथक्करण	380 एम एम
		(ङ.) न्यूनतम रोलर लंबाई	350 एम एम
		(च) न्यूनतम हवीलबेस	800 एम एम
		(छ) अधिकतम हवीलबेस	1500 एम एम
		(ज) रोलर सतह न्यूनतम घर्षण गुणांक	0.6
		(झ) रोलर सतह सेवा जीवन	न्यूनतम 50000 घंटे
		(ञ) ब्रेक भार समाधान	≤ 100 एन
		(ट) ब्रेक भार सटीकता	± 100 एन माप मूल्य
		(ठ) अनुमानित: प्रशिक्षण गति	5 कि. मी. / प्रति घंटा
16.	सेमी ऑटोमेटिक हेडलाइट टेस्टर	मानदंड	तकनीकी विनिर्देश
		(क) प्रकाश तीव्रता परास माप	0-100000 सीडी
		(ख) प्रदीप्ति तीव्रता परास माप	0-200 लक्स
		(ग) भूमिस्तर से ऊपर उसके केन्द्र के साथ हेडलैंप को मापने में सक्षम हेडलाइट टेस्टर	240 एम एम से 1500 एम एम
		(घ) उर्ध्वाधर और क्षैतिज माप परास	± 50 सेमी/10 एम ($\pm 5\%$)
		(ङ.) तीव्रता का अधिकतम वचलन	पाठ्यांक का $\pm 5\%$
		(च) हेडलैंप टेस्टर पूरी तरह से समतल सतह/रेल्स पर रखा जाना चाहिए	

12. उक्त नियमावली के नियम 190 के उप-नियम (6) में तालिका-छ में क्रम संख्या 7 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“8	जीपीएस सक्षम कैमरा	(क) रीजोल्यूशन: न्यूनतम 20 मेगापिक्सेल (ख) ऑप्टिकल ज़ूम: 3एक्स (ग) विशेष विशिष्टताएं: बिल्ट-इन वाईफाई और जीपीएस सपोर्ट (उच्च संवेदनशीलता, कैमरे में उच्च सटीकता बिल्ट-इन जीपीएस, जिससे उपयोगकर्ताओं को जीपीएस के साथ समन्वय में इमेजेस को टैग कर सकते हैं, शूटिंग स्थानों को याद रखने और यहां तक कि इसके लॉगिंग फ़ंक्शन के साथ यात्रा किए गए मार्ग को भी रखने) करने की अनुमति देता है।
----	--------------------	--

13. उक्त नियमों में, प्रपत्र 63 में, क्रम संख्या 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“4. भूमि का ब्यौरा	प्रस्तावित स्थान - स्वामित्व/पट्टे का विवरण (दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाए, यदि उपलब्ध हो)”
--------------------	---

14. उक्त नियमों में, प्रपत्र 64 में, क्रम संख्या 7 (घ) में, "ऑटोमोबाइल स्पेयर्स" शब्दों के पश्चात् "या वाहनों की स्कैपिंग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियमों में, प्रपत्र 66 में, क्रम संख्या 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"1. परीक्षण उपकरण पूर्णता और अंशशोधन

क्र.सं.	उपकरण	उपलब्ध (हां/नहीं)	क्रियाशील (हां/नहीं)	अंशशोधन की तारीख
क.	रोलर ब्रेक टेस्टर			
ख.	धुरी का वजन			
ग.	सस्पेंशन टेस्टर			
घ.	साइड स्लिप टेस्टर			
ड.	ज्वाइंट प्ले टेस्टर			
च.	इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर			
छ.	सेमी-ऑटोमैटिक हेड लाइट टेस्टर			
ज.	ओपेसीमीटर			
झ.	निकास गैस विश्लेषक			
ञ.	स्पीडोमीटर टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर			
ट.	ध्वनि स्तर मीटर			
ठ.	ओबीडी स्कैन टूल			

ड.	टेस्ट फिंगर			
ढ.	इंसुलेशन टेस्टर			

16. उक्त नियमों में, प्रपत्र 67 में, क्रम संख्या 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"1. परीक्षण उपकरण पूर्णता और अंशशोधन

क्र.सं.	उपकरण	उपलब्ध (हां/नहीं)	क्रियाशील (हां/नहीं)	अंशशोधन की तारीख
क.	रोलर ब्रेक टेस्टर			
ख.	धुरी का वजन			
ग.	सस्पेंशन टेस्टर			
घ.	साइड स्लिप टेस्टर			
ड.	ज्वाइंट प्ले टेस्टर			
च.	इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर			
छ.	सेमी-ऑटोमैटिक हेड लाइट टेस्टर			
ज.	ओपेसीमीटर			
झ.	निकास गैस विश्लेषक			
ञ.	स्पीडोमीटर टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर			
ट.	ध्वनि स्तर मीटर			
ठ.	ओबीडी स्कैन टूल			
ड.	टेस्ट फिंगर			
ढ.	इंसुलेशन टेस्टर			

17. उक्त नियमों में, प्रपत्र 68 में, क्रम संख्या 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"1. परीक्षण स्टेशन विवरण

	प्रारंभिक परीक्षण	पहला पुनःपरीक्षण	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित परीक्षण
स्टेशन का नाम			
स्टेशन का पता			
परीक्षण की			

तारीख			
परीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करना			

18. उक्त नियमों में, प्रपत्र 68 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्रपत्र 69

[नियम 181 (7) देखें]

वाहन परीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

एटीएस ऑपरेटर का नाम, लोगो और विवरण

क्यूआर कोड	<जीपीएस समन्वित तिथि और समय> <वाहन के पंजीकरण प्लेट का चित्र>
------------	--

स्वचालित परीक्षण केन्द्र का सामान्य विवरण								
पंजीकरण संख्या	स्थान			कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी का नाम	परीक्षण सं.	परीक्षण की तारीख (DD-MM-YY)	परीक्षण का समय	परीक्षण की स्थिति (प्रारंभिक परीक्षण/ प्रथम पुनः परीक्षण/ द्वितीय पुनः परीक्षण ⁽¹⁾)
	आरटीओ	जिला	राज्य					

फिटनेस परीक्षण/पुनः परीक्षण की निर्धारित तिथि	
---	--

वाहन का ब्यौरा										
पंजीकरण सं.	वाहन की श्रेणी	मेक	मॉडल	इंजन संख्या	चैसिस नंबर	इंधन का प्रकार	उत्सर्जन मानदण्ड	गति निर्धारक संख्या (यदि कोई हो)	जीवीडब्ल्यू (किलो)	निर्माण का वर्ष

1. स्वचालित उपस्कर अंशांकन का ब्यौरा

#	उपस्कर का नाम	आई.डी. सं.	अंशांकन आवृत्ति	अंतिम अंशांकन की तारीख
1	रोलर ब्रेक परीक्षक			
2	धुरी भार मापन के लिए उपस्कर			
3	संस्पेंशन परीक्षक			
4	साइड स्लिप परीक्षक			
5	ज्वाइंट प्ले परीक्षक		लागू नहीं	लागू नहीं
6	इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग गियर प्ले संसूचन			
7	अग्रदीप परीक्षक (अर्ध-स्वचालित/पूर्णतः स्वचालित)			
8	ओपेसीमीटर/ स्मोक मीटर			
9	निकास गैस विश्लेषक			
10	चालमापी परीक्षक/गति-नियंत्रक परीक्षक			
11	ध्वनि स्तर मीटर			
12	परीक्षण फिंगर्स		लागू नहीं	लागू नहीं
13	विसंवाहक परीक्षक			
14	खराबी संकेतक लैंप - एमआईएल (ओबीडीस्कैन टूल का हिस्सा)		लागू नहीं	लागू नहीं

2. निरीक्षण परिणाम

क. क्रेडिसाइकल, हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	नियम 189 के अनुसार सारणी घ	लागू (हां/नहीं)	रिकॉर्ड किया गया मान/टिप्पणी	परिणाम (प-पास/फ-फेल)
भाग क: स्वचालित परीक्षण - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना					
1	(क) बायां हेडलैंप डिण्ड बीम लंबवत विचलन (%)	1 (क)			
	(ख) दायां हेडलैंप डिण्ड बीम लंबवत विचलन (%)	1 (ख)			
2	(क) निकास गैस उत्सर्जन - CO%	11 (क)			
	(ख) निकास गैस उत्सर्जन - एचसी (पीपीएम)	11 (ख)			
	(ग) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - CO%	11 (ग)			
	(घ) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - लैम्बडा λ	11 (घ)			

	(ड.)	स्मोक घनत्व (m^{-1})	11 (ड.)			
3		सर्विस ब्रेक दक्षता (%)	12 (क)			
4		स्टीयरिंग गियर फ्री प्ले (डिग्री)	13			
भाग ख: स्वचालित परीक्षण - फिटनेस को परिभाषित करना						
5		गति नियंत्रक	27			
भाग ग: स्वचालित परीक्षण - वाहन के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी						
6		साइड स्लिप टेस्ट	14			लागू नहीं
7		निलंबन परीक्षण	15			लागू नहीं
8		ज्वाइंट प्ले टेस्ट	16			लागू नहीं
9		पार्किंग ब्रेक दक्षता (%)	12 (ख)			लागू नहीं
10		स्पीडोमीटर परीक्षण	17(क)			लागू नहीं
भाग घ: गैर-स्वचालित परीक्षण (इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए) - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना						
11		विद्युत आघात से बचाव। (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	31			
12		रोधन प्रतिरोध मापन परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	32			
भाग ड.: गैर-स्वचालित परीक्षण - फिटनेस को परिभाषित करना						
13		हेडलैम्प्स असेंबली	2			
14		प्रकाश	3			
15		सप्रेसर कैप / हाई टेंशन केबल	4			
16		पीछे देखने के लिए शीशा	5			
17		सुरक्षा ग्लास (विंडस्क्रीन)	6			
18		हार्न	7			
19		साइलेंसर	8 (क)			
20	(क)	विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड	9 (क)			
	(ख)	विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम	9 (ख)			
21		डैशबोर्ड उपकरण	10			
22		चालन संरक्षण के अधीन पृष्ठ भाग (आरयूपीडी) (एन2, एन3, टी3 और टी4 के लिए)	18			
23		चलने के अधीन पार्श्वीय सुरक्षा डिवाइस	19			

	(एल्यूमीनियम) (एन2, एन3, टी3 और टी4 के लिए)				
24	फास्टेज	20			
25	प्राथमिकता वाली सीटें, संकेतक, विभिन्न रूप से सक्षम यात्रियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए बैसाखी / बेंत / वॉकर, रेलिंग / डंडे की उपलब्धता, प्राथमिकता वाली सीटों पर नियंत्रण (केवल बसों के लिए)	21			
26	विभिन्न रूप से सक्षम यात्रियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था (केवल बसों के लिए)	22			
27	वाहन स्थान ट्रेकिंग (वीएलटी) डिवाइस	23			
28	उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	24			
29	बैटरी	25			
30	सुरक्षा बेल्ट (सीटबेल्ट)	26			
31	स्प्रे सस्पेंशन उपकरण (सभी एन, टी3 और टी4 के लिए)	28			
32	टायर	29			
33	रेट्रो- रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप	30			
34	डैशबोर्ड पर चार्ज की स्थिति(एसओसी) का इंडिकेटर (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए)	33			
भाग च: गैर-स्वचालित परीक्षण - वाहन के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी					
35	खराबी संकेतक लैंप - एमएलआई (ओबीडीस्कैन टूल का हिस्सा)	39			
36	उत्सर्जित शोर परीक्षण (डीबी)	8 (बी)			

ख. तिपहिया वाहनों के लिए

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	नियम 189 के अनुसार सारणी घ	लागू (हां/नहीं)	रिकॉर्ड किया गया मूल्य /टिप्पणी	परिणाम (प-पास/फ-फेल)
भाग क: स्वचालित परीक्षण - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना					
1	(क) निकास गैस उत्सर्जन - CO%	11 (क)			
	(ख) निकास गैस उत्सर्जन - एचसी (पीपीएम)	11 (ख)			
	(ग) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - CO%	11 (ग)			
	(घ) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) -	11 (घ)			

	लैम्बडा λ				
	(ड.) स्मोकघनत्व (m^{-1})	11 (ड.)			
2	सर्विस ब्रेक दक्षता (%)	12 (क)			
3	स्पीडोमीटर (ई-रिक्शा या ई-कार्ट के लिए)	17 (ख)			
भाग ग: स्वचालित परीक्षण - वाहन के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी					
4	पार्किंग ब्रेक दक्षता (%)	12 (ख)			लागू नहीं
भाग घ: गैर-स्वचालित परीक्षण (इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए) - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना					
5	विद्युत आघात से बचाव। (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	31 अथवा 37			
6	रोधन प्रतिरोध मापन परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	32 अथवा 38			
भाग ड.: गैर-स्वचालित परीक्षण - फिटनेस को परिभाषित करना					
7	हेडलैम्प्स असेंबली	2			
8	प्रकाश	3			
9	सप्रेसर कैप / हाई टेंशन केबल	4			
10	पीछे देखने के लिए शीशा	5			
11	सुरक्षा ग्लास (विंडस्क्रीन)	6			
12	हार्न	7			
13	साइलेंसर	8 (क)			
14	(क) विंडस्क्रीन वाइपर ब्लेड	9 (क)			
	(ख) विंडस्क्रीन वाइपर सिस्टम	9 (ख)			
15	डैशबोर्ड उपकरण	10			
16	उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	24			
17	बैटरी	25			
18	टायर	29			
19	रेट्रो- रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप	30			
20	डैशबोर्ड पर चार्ज की स्थिति (एसओसी) का इंडिकेटर (इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए)	33			
भाग च: गैर-स्वचालित परीक्षण - वाहन के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी					
21	उत्सर्जित आवाज़ परीक्षण (डीबी)	8 (ख)			

ग. दो-पहिया वाहनों के लिए

क्र.सं.	परीक्षण का नाम	नियम 189 के अनुसार सारणी घ	लागू (हां/नहीं)	रिकॉर्ड किया गया मूल्य /टिप्पणी	परिणाम (प-पास/फ-फेल)
भाग क: स्वचालित परीक्षण - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना					
1	हेडलाइट पासिंग बीम लंबवत विचलन (%)	34			
2	(क) निकास गैस उत्सर्जन - CO%	35 (क)			
	(ख) निकास गैस उत्सर्जन - एचसी (पीपीएम)	35 (ख)			
	(ग) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - CO%	35 (ग)			
	(घ) निकास गैस उत्सर्जन (उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन) - लैम्बडा λ	35 (घ)			
भाग ग: स्वचालित परीक्षण - वाहन के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी					
3	ब्रेक दक्षता (%)	36			
भाग घ: गैर-स्वचालित परीक्षण (इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए) - ईएलवी या फिटनेस को परिभाषित करना					
4	विद्युत आघात से बचाव। (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज >60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	31 अथवा 37			
5	रोधन प्रतिरोध मापन परीक्षण (केवल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए, यदि सिस्टम वोल्टेज >60 वी डीसी या 30 वी एसी है)	32 अथवा 38			
भाग ड.: गैर-स्वचालित परीक्षण - वाहन के रख-रखाव के बारे में अतिरिक्त जानकारी					
6	खराबी संकेतक लैंप - एमएलआई (ओबीडीस्कैन टूल का हिस्सा)	39			

3. समग्र परिणाम

--

4. सारांश (पहचान की गई समस्याएं):

--

5. परीक्षण के चित्र (अपलोड किए जाएं):

6. परीक्षक अधिकारी की टिप्पणियां:

--

एटीएस ऑपरेटर का डिजिटल हस्ताक्षर

[फा. सं. आरटी-25035/05/2021-आरएस]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.652 (अ) दिनांक 23 सितंबर 2021 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2022

G.S.R. 221(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of publication of the notification.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 174, in serial number (xi) of sub-rule (1), item (c) shall be substituted with:
“(c) which has been declared End of Life Vehicle as specified under the provisions of this chapter; or”
3. In the said rules, in rule 175, in serial number (ii) of sub-rule (4), after the words “take into consideration”, the words “the possible utilization of the automated testing stations and” shall be inserted.
4. In the said rules, in rule 176
 - a) In sub-rule (1), in paragraph 2, after the words “or automobile spares”, the words “or scrapping of vehicles” shall be inserted.
 - b) In sub-rule (1), in paragraph 3, after the words “or automobile spares”, the words “or scrapping of vehicles” shall be inserted.
 - c) Sub-rule (4) shall be substituted with:
“The owner or operator of an automated testing station shall have a minimum net worth of three crore rupees during the last financial year.”
 - d) Sub-rule (5) shall be omitted.
5. In the said rules, in rule 177, sub-rule (1), shall be substituted with—
“(1) There shall be no conflict of interest during the course of operations that may arise or may be perceived to influence or compromise the professional behavior of the owner or operator of an automated testing station.”
6. In the said rules, in rule 178, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted —
“(7) The premises where the automated testing station is to be housed shall either be owned or taken on lease or hired by the owner for a period not less than ten years.”
7. In the said rules, in rule 181,

- a) In sub-rule (6) in serial number (ii), after the words “shall be automatically transmitted”, the words “from testing equipment” shall be inserted.
 - b) In sub-rule (7), after the words “and test report”, the words “in Form 69,” shall be inserted.
 - c) After sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted:
“(9) The Automated Testing Station established under these rules may accept and test the vehicles registered in any of the States or Union Territories under the jurisdiction of any registering authority.”
8. In the said rules, in rule 182, sub-rule (3), after the words “declared as End of Life Vehicle”, the words “or unfit as the case may be.” shall be inserted.
 9. In the said rules, in rule 183, sub-rule (1), after the words “the Appellate Authority”, the words “(Regional Transport Officer) where the vehicle is registered” shall be inserted
 10. In the said rules, in rule 189 in sub-rule (1), the Table-D shall be substituted with the following table –

“[Table-D]”

SI. No.	Item	Automated Test (Yes/No)	Check Fitment (Yes/No)	Visual Check/ Functional Test	Reference Rules / Standards for more details [#]	Notes for information
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Headlamp dipped Beam	Yes	No	Functional	AIS-128	Functional test requirements: Horizontal cut off of passing beam shall always be below headlamp centreline and the deviation shall be within 0.5% to 2.5%.
(2)	Headlamps Assembly	No	Yes	Visual	rule 105 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS-009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Bulb should be working; (ii) Head lamp operating switch working; (iii) No broken lens; (iv) Lens of the lamp should not be painted with colour OR pasted with sticker.
(3)	Lights					
	(a) Top Lights	No	Yes	Visual	rule 107, 108 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) For the lamps with dual coloured lens, red

						lens shall be oriented towards rear and white shall be towards front; (vi) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (vii) Secured fitment of the lamps.
	(b) Stop Lights	No	Yes	Visual	rule 102 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS-009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working on actuation of the brake; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
	(c) Parking Lights	No	Yes	Visual	rule 109 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS- 009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Colored lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
	(d) Fog Lamps (if fitted)	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of

						the lamps.
	(e) Warning Lights in Ambulance	No	Yes	Visual	rule 108 and AIS-125 (Part 1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
	(f) Number Plate Light	No	Yes	Visual	rule 108 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS- 009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) White light shall be used for illuminating number plate; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamps shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
	(g) End-Outline Marker Lamps	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Ensure secured fitment of end-outline marker lamps; (ii) Coloured lens shall not be faded; (iii) Lens should not be broken; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Red coloured lens shall face towards rear and white lens to the front.
	(h) Direction Indicators	No	Yes	Visual	rule 102 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009	Visual inspection parameters: (i) Flashing light emitted shall be Amber in colour;

					(Rev.1)	(ii) Lens should not be broken; (iii) Lamps shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
	(i) Hazard Warning Signal lamp	No	Yes	Visual	AIS:008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Flashing light emitted shall be Amber in colour; (ii) Ensure simultaneous operation of all direction indicator lamps by use of switch.
(4)	Suppressor cap/ High Tension cable	No	Yes	Visual	-	Visual inspection parameters: (A) Suppressor Cap: (i) Suppressor cap shall be in good condition (B) High Tension Cable: (i) High Tension cable shall be properly insulated; (ii) Proper terminal connections shall be made on both sides of High-Tension cable.
(5)	Rear View Mirrors	No	Yes	Visual	rule 125(2) and AIS-002 (Part-1) & (Part-2) (Rev. 1)	Visual inspection parameters: Ensure fitment of required class of the mirror as per AIS 002 (Part-1) / (Part-2) (Rev-1); Symbol I / II / III /IV / V/ VI / VII specifying the class to which the type of mirror belongs shall be ensured on the mirror marking; Secured fitment of mirrors in good condition.
(6)	Safety Glass (Windscreen)	No	Yes	Visual	(a) rule 100 and IS:2553 (Part 2) (b) Bureau of Indian	Visual inspection parameters: (i) Except the glass area covered by

					Standards license marking for the vehicles registered from 1st April, 2021.	stickers such as FasTag / Permits / Badges, the windscreen glass shall be transparent; (ii) the laminated safety glass for windscreen application shall bear clear and indelible 'LW' or 'II' or IV or II/P marking in addition to the trademark or manufacturer's logo as specified in IS:2553 (Part 2); (iii) Glass shall not be damaged/cracked; Coloured films shall not be pasted on the glass.
(7)	Horn	No	Yes	Visual and Functional	IS-1884, rule 119 and IS- 15796	(1) Visual inspection parameters: (i) Multi-toned horn giving a succession of different notes or with any other sound producing device giving an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise shall not be used; (ii) Horn shall be securely fitted; (iii) Horn shall be functioning; (2) Functional test requirements: Sound pressure level of the horn installed on the vehicle shall be as per IS: 15796.
(8)	Silencer					
	(a) Silencer	No	Yes	Visual	rule 120 and IS 10399:1998	Visual inspection parameters: (i) Ensure no leakage; (ii) Secured fitment of silencer; (iii) Silencer shall not be excessively
	(b) Exhaust Noise Test (dB)	No	No	Functional		

						rusty or damaged; Functional test requirements: Stationary noise test as per IS 10399:1998
(9)	Windscreen Wiper					
	(a) Windscreen Wiper Blades	No	Yes	Visual	rule 101, AIS-045, IS: 15804 and IS: 15802	Visual inspection parameters: (i) Ensure presence of wiper blades; (ii) Wiper blade shall be in good condition.
	(b) Windscreen Wiper System	No	Yes	Functional	rule 101, AIS-045, IS: 15804 and IS: 15802	Visual inspection parameter: (i) Ensure operation of each wiper arm(s) to cover maximum area of the windscreen; (ii) In split type windscreen for vehicles other than three-wheelers, wiper shall be operable for each windscreen; Wiper shall be securely fitted.
(10)	Dashboard Equipment	No	Yes	Visual	AIS-071 (Part 1)	Visual inspection parameters: (i) Ensure secured mounting; (ii) Wiring shall be insulated; (iii) Dashboard illumination shall be functioning; (iv) Warning lights for ABS, lights, brake system, battery charging, OBD or engine malfunction, fuel label, engine oil pressure, engine coolant temperature shall not remain illuminated.
(11)	Exhaust					
	(a) Exhaust gas emission – CO%	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (i) - TABLE	Applicable for Petrol/CNG/LPG driven vehicles

	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	Yes	No			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	Yes	No		Rule 115 (2) (i) - TABLE A	Applicable for Petrol driven vehicles manufactured as per Bharat Stage-IV or Bharat Stage-VI norms
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda	Yes	No			Applicable for Petrol/CNG/LPG driven vehicles manufactured as per Bharat Stage-IV or Bharat Stage-VI norms
	(e) Smoke Density (Free Acceleration test applicable for Diesel vehicles)	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (ii) - TABLE	Applicable for Diesel vehicles
(12)	Braking System					
	(a) Service Brakes	Yes	Yes	Visual and Functional	AIS-128	(I) Visual inspection parameters: (i) Fittings shall be secured; (ii) Brake hoses shall not be damaged or cracked; (iii) No leakage of brake fluid. (II) Functional test requirements: Braking efficiency measured on roller brake tester should be at least 27.23%.
	(b) Parking Brakes	Yes	Yes	Visual and Functional		
(13)	Steering Gear	Yes	Yes	Functional	rule 98	Functional test requirements: Back-lash / Free play in steering gear shall not be more than 30 degrees.
(14)	Side Slip Test (This test applies to all categories of vehicles except 3-wheelers)	Yes	No	Functional	As per specification	

(15)	Suspension Test (Applicable for vehicles having GVW upto 3.5 ton excluding 3-wheelers)	Yes	No	Functional	-	Functional test requirements: No significant difference between suspension system efficiency of left and right side of vehicle.
(16)	Joint Play Test	Yes	Yes	Visual and Functional	-	Visual inspection parameters: (A) Suspension system: (i) Ensure secured attachment of springs and shock absorbers to chassis or axle; (ii) Springs shall not be damaged or fractured; (iii) Shock absorber dampers shall not have any oil leakage; (iv) Excessive wear shall not happen in swivel pin or bushes or at suspension joints; (v) In case of Air suspension, ensure no audible system leakage (B) Axle: (i) Secured fixing to the vehicle; (ii) Axle shall not be fractured or deformed; (iii) Excessive wear shall not happen in the swivel pin or bushes.
(17)	Speedometer					
	(a) Speedometer	Yes	Yes	Visual	rule 117 and IS-11827-2008	Visual inspection parameters: (i) Securely fitted; (ii) Sufficiently illuminated; (iii) Dial cover shall not be broken; (iv) Indicator needle operational.
	(b) Speedometer	Yes	No	Functional	As per	The vehicle shall be driven in unladen

	Test (For E-rickshaw or E-cart)				specification	condition (with full charge and at full accelerator position) on straight, flat road or roller and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (viz 50 metres). Maximum speed of the vehicle shall not be more than 25 km/hr.
(18)	Rear under run protection device (RUPD) for N2, N3, T3 and T4	No	Yes	Visual	rule 124 (1A) and IS- 14812-2005	Visual inspection parameters: Rear Underride Protection Device shall be fitted; (i) Rear Underride Protection Device shall not be cracked, corroded or damaged; (ii) Ensure that ground clearance and dimensions of Rear Underride Protection Device shall be as per IS-14812-2005.
(19)	Lateral under run protection device (LUPD) for N2, N3, T3 and T4	No	Yes	Visual	rule 124 (1A) and IS- 14682-2004	Visual inspection parameters: (i) Lateral under run protection device shall be fitted (ii) Lateral under run protection device shall not be cracked, corroded or damaged (iii) Ensure that dimensions of Lateral under run protection device shall be as per IS- 14682-2004.
(20)	FASTag	No	Yes	Visual	rule 138 (A)	Visual inspection parameters: (i) To be affixed on the front windscreen; (ii) FASTag shall be not

						damaged.
(21)	Priority Seats, Signs, securing of crutches/canes/walker, hand rail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS- 153	Visual inspection parameters: (i) Buses fitted with a priority seat shall have pictogram(s) visible from the outside, both on the front nearside of the bus and adjacent to the relevant service door(s); (ii) A pictogram shall be placed internally adjacent to the priority seat; (iii) All Type I buses shall have at least two passenger seats in case of Mini and Midi buses and four passenger seats in case of other buses designated as priority seats for persons with disabilities; (iv) Priority seats shall be only of the forward-facing type and preferably be located behind the driver's seat; (v) The priority seats shall be provided with appropriate facility for securing the crutches, canes, walkers etc. to facilitate convenient travel for persons with disabilities; (vi) Handrails or stanchions shall be provided at the entrance of all Type I buses; (vii) All Type I NDX buses shall be provided with controls adjacent to priority seats for requesting stops and which alert the driver that a mobility aid user wishes to disembark; (viii) Communication devices shall be placed adjacent to any priority seat.

(22)	Wheel chair entry/housing/locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS-153	Visual inspection parameters: (i) Buses fitted with a wheelchair space shall have pictogram(s) visible from the outside, both on the front nearside of the bus and adjacent to the relevant service door(s); (ii) One of the pictograms shall be placed Internally adjacent to each wheelchair space indicating whether the wheelchair is to be positioned facing the front or the rear of the bus; (iii) Wheelchair space shall be provided with a restraint system capable of restraining the wheelchair and the wheelchair user; (iv) Ensure sufficient space available for the Wheelchair user to maneuver without the assistance of a person; (v) Vehicles of Type I shall have identified area to accommodate at least one wheelchair user; (vi) Communication devices shall be placed within identified wheelchair area.
(23)	Vehicle Location Tracking (VLT) Device	No	Yes	Visual	AIS-140	Visual inspection parameters: (i) Vehicle Location Tracking shall be installed; (ii) Emergency alarm button shall be working.
(24)	High Security Registration Plate (HSRP)	No	Yes	Visual	rule 50 and AIS-159	Visual inspection parameters: (i) High Security Registration Plates installed at the front & rear of the vehicle;

						(ii) Securely fixed.
(25)	Battery	No	Yes	Visual	-	Visual inspection parameters: (i) Secured mounting; (ii) Ensure no leakage; (iii) Ensure top is clean, dry, free of dirt and grime.
(26)	Safety belt (Seatbelt)	No	Yes	Visual	rule 125(1-A) and AIS- 015 or IS 15140:2003	Visual inspection parameters: Mandatory safety belts shall be available and securely fitted; (i) Safety belts shall not be damaged; (ii) Safety belt anchorage shall not be loose; (iii) Seatbelt reminder system, if available, should be functioning
(27)	Speed Governor	Yes	Yes	Visual and Functional	rule:118 and AIS-018	(I) Visual inspection parameters: (i) Securely fitted; (ii) Speed governor shall be sealed; (iii) Electrical wirings of speed governor shall not be disconnected; Functional test requirements: (i) 80 km/hr for every transport motor vehicle of category M and N manufactured on or after 01 st Oct, 2015; (ii) For transport vehicles manufactured on or after 01 st October, 2015 that are dumpers, tankers, school buses, those carrying hazardous goods or any other category of vehicles, as may be specified by the Central Government by notification, the maximum speed limit is 60 km/hr or any other speed as specified by the

						State Government.
(28)	Spray Suppression Devices	No	Yes	Visual	AIS-013 (Rev. 1)	Visual inspection parameters: Ensure presence of securely fitted spray suppression devices.
(29)	Tyres	No	Yes	Visual	rule 94 and 95	Visual inspection parameters: (i) Tyres shall not have any serious damage (patched or repaired by an outside gaiter patch other than a vulcanized repair) or cut; (ii) The Non-Skid Depth (NSD), shall not be less than 0.8 mm in the case of three wheelers, quadricycle, E-rickshaw and E-Cart and 1.6 mm in the case of other motor vehicles, below the Tread Wear Indicator (TWI) embedded in tyres at the time of manufacture; (iii) Tyres shall be properly inflated; (iv) Tyres shall not show signs of incipient failure by local deformation or swelling; (v) Tyre casing fabric shall not be exposed due to wear of the tread or by any unvulcanised cut or abrasion in any of its parts; (vi) Temporary spare wheel or tyre puncture repair kit shall be available.
(30)	Retro- Reflector and reflective tapes	No	Yes	Visual	rule: 104, AIS-090 and AIS- 037, AIS- 057 and AIS-057 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (A) Reflectors (i) Ensure presence of clean reflectors; (ii) Secured fitment of reflectors; (iii) Reflectors shall not

						be in damaged condition; (iv) Ensure that colour of reflectors shall be as per rule 104 i.e., red colour to the rear or white to the front. (B) Reflective Tapes – (i) Ensure presence of clean reflective tapes; (ii) Securely pasted to vehicle body; (iii) Ensure that size, colour and location of reflective tapes shall be as per rule 104; (iv) Reflective tapes shall not be damaged; (v) The marks shall be visible, clearly legible on the outside of the marking material and shall be indelible.
Additional tests to be conducted on Electric Vehicles (EV) & hybrid-electric power train vehicles)						
(31)	Protection against electric shock. (For electric & hybrid electric power train vehicles only) if system voltage is >60 V DC or 30 V AC)	No	No	Visual and Functional	AIS-038 (Rev.1)	(1) Visual inspection parameters: (i) Ensure access probe shall not touch live parts; (ii) In the case of the test for IPXXB in the areas other than passenger compartment or luggage compartment, the jointed test finger may penetrate to its 80 mm length, but the stop face (diameter 50 mm x 20 mm) shall not pass through the opening; (iii) In case of the tests for IPXXD inside the passenger compartment or luggage compartment, the access probe may

						penetrate to its full length, but the stop face shall not fully penetrate through the opening. (2) Functional test requirements: (i) When the requirements of IPXXB and IPXXD are verified by a signal circuit between the probe and live parts, ensure that the lamp shall not light
(32)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles & hybrid electric power train vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	No	No	Functional	AIS-038 (Rev.1)	Functional test requirements: Insulation resistance measured should be greater than 500Ω/V.
(33)	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard (For Electric vehicles only)	No	Yes	Visual	AIS-038 (Rev.1)	Visual inspection parameters: Manufacturer supplied SOC indicator shall be in working condition to see charging status of Battery.
Tests to be conducted on Two Wheelers						
(34)	Headlight	Yes	Yes	Functional and Visual	AIS-009 (Rev.1): 2011, Clause no. 6.2.5.2	The vertical inclination of the passing beam headlamp shall remain between - 0.5% and - 2.5%, except in the case where an external adjusting device is present.
(35)	Emission					
	(a) Exhaust gas emission – CO%	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (i) - TABLE	
	(b) Exhaust gas emission – HC	Yes	No	Functional		

	(ppm)					
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	Yes	No	Functional	Rule 115 (2) (i) - TABLE A	
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda λ	Yes	No	Functional		
(36)	Braking System	Yes	Yes	Functional		
Additional tests to be conducted on Two-Wheeler Electric Vehicles						
(37)	Protection against electric shock (For electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	No	No	Visual and Functional	AIS-038 (Rev.1)	(1) Visual inspection parameters: (i) Ensure access probe shall not touch live parts; (ii) In the case of the test for IPXXB in the areas other than passenger compartment or luggage compartment, the jointed test finger may penetrate to its 80 mm length, but the stop face (diameter 50 mm x 20 mm) shall not pass through the opening; (iii) In case of the tests for IPXXD inside the passenger compartment or luggage compartment, the access probe may penetrate to its full length, but the stop face shall not fully penetrate through the opening. (2) Functional test requirements: (i) When the requirements of IPXXB and IPXXD are verified by a signal circuit between the probe and live parts, ensure that the lamp shall not light

(38)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60V DC or 30V AC	No	No	Functional	AIS-038 (Rev.1)	Functional test requirements: Insulation resistance measured should be greater than 500Ω/V.
Additional tests to be conducted on Vehicles other than Three Wheelers						
39	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)	No	No	Visual	As per CMVR 1989	If MIL is “On”, it indicates the emission circuit discontinuity.

The vehicle that fails any of the above test(s), except serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 as per Table-D (which are only for information purpose, informing about the health of the vehicle to the owner), shall be declared **Unfit**. The registered owner or authorized signatory of the vehicle shall have an opportunity to apply for a re-test within thirty days of such result, after getting the defect(s) specified in the test report of initial inspection, rectified. Such vehicle shall be re-tested only for the test(s) which it failed during initial inspection.

During the initial inspection, if the vehicle fails any of the test(s) as specified in serial number 1, 11, 12(a), 13, 17(b), 31, 32, 34, 35, 37 and 38 of Table-D and is not re-tested within thirty days of such result, such vehicle shall be declared as End-of-Life Vehicle (ELV).

During re-test, if the vehicle passes all the test(s) failed in initial test, it will be declared **Fit**. However, as a result of the re-test, if the vehicle fails any of the tests as specified in serial number 1, 11, 12(a), 13, 17 (b), 31, 32, 34, 35, 37 and 38 of Table-D, as the case may be according to the type of the vehicle, such vehicle shall be declared as **End-of-Life Vehicle** (ELV). In case, during the re-test, a vehicle fails any test, except the tests specified in serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 of Table-D, such vehicle shall be declared as **Unfit**.

In case the retest (partial or complete test) is ordered by the Appellate Authority and

- (i) if the vehicle fails any of the test(s) as specified in serial number 1, 11, 12(a), 13, 17 (b), 31, 32, 34, 35, 37 and 38 of Table-D, such vehicle shall be declared as **End-of-Life Vehicle** (ELV).
- (ii) If the vehicle fails any of the test(s) other than those listed in (i) above and except serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 of Table-D (which are only for information purpose), such vehicle shall be declared as Unfit.
- (iii) If the vehicle passes all the tests (except serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 of Table-D, which are only for information purpose), such vehicle shall be declared as **Fit**.

Reference and Standards quoted against each item are indicative that the provisions exist in Central Motor Vehicles Rules, 1989 and concerned AIS/IS, except serial numbers 14, 15, 16, 17(a) and 39 of Table-D, which are to inform the registered owner or authorised representative about the health of the vehicle. These are valid as on date and shall be applicable as amended from time to time.

Explanation. – For removing any doubt, it is hereby clarified that the items viz., FASTag, Vehicle Location Tracking (VLT) Device, High Security Registration Plate (HSRP), Safety Belt (Seatbelt), Battery etc., which cannot be tested through the automated testing equipment as per column (3) of the table above, shall be tested in accordance with the applicable provisions of these rules.”

11. In the said rules, in rule 190 sub-rule (5), the Table-F shall be substituted with the following table –

“[Table-F]

Sl. No.	Equipment	Technical Specification	
		Light Commercial Vehicles	Medium and Heavy Commercial Vehicles

1	Roller brake tester	(a) Maximum measurable brake load is at least of 6kN (b) Difference in left and right braking efficiency (c) Brake load resolution $\leq 100\text{N}$ (d) Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in subrule (7) of this rule (e) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle (f) Approximate Testing speed: $5\text{ km/h} \pm 1\text{ km/h}$ (g) Roller surface i. Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents need to be provided). ii. Service life: Minimum 25000 hrs (h) Measurement accuracy: within $\pm 100\text{N}$ For testing the 3- wheelers, one additional roller for the front wheel to be provided in Light Commercial Vehicle Lane and It should be so positioned that the front wheel tests can be done properly.	(a) Maximum measurable brake load is at least of 40 kN. (b) Difference in left and right braking efficiency (c) Brake load resolution $\leq 100\text{N}$ (d) Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in subrule (7) of this rule (e) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle (f) Approximate Testing speed: minimum 2.5 km/h (g) Roller surface i. Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents need to be provided). ii. Service life: Minimum 25000 hrs (h) Measurement accuracy: within $\pm 2\%$ of the measured value
2	Axle Weight Measurement	(a) Weighing scale for measurement of each axle weight is required. The system should determine this by adding together the axle weight, tare weight/ Kerb weight of the vehicle. Axle weight measurement system can be separate or integrated within either Suspension Tester or Roller Brake Tester equipment. (b) Measuring Range: 0-3000 kg (c) Resolution: 5kg (d) Accuracy: $\pm 1\%$ of reading	(a) Weighing scale for measurement of each axle weight is required. The system should determine this by adding together axle weight, tare weight/ Kerb weight of the vehicle. Axle weight measurement system can be separate or integrated within either Suspension Tester or Roller Brake Tester equipment. (b) Measuring range: 0-15000 kg (c) Resolution: 5 kg (d) Accuracy: $\pm 1\%$ of reading
3	Suspension tester	(a) Amplitude of excitation: 6.5 mm $\pm 5\text{ mm}$ (b) Measurement accuracy: $\pm 1\%$ of wheel load	
4	Side slip tester	(a) Suitable dimension of track plate length, weight and height (b) Measuring range: $\pm 20\text{ m/km}$ (c) Measuring resolution: 1 m/km (d) Accuracy shall be $\pm 1.0\text{m/km}$	(a) Suitable dimension of track plate length, weight and height (b) Measuring range: $\pm 20\text{ m/km}$ (c) Measuring resolution: 1 m/km (d) Accuracy shall be

			±1.0m/km
5	Joint Play tester	(a) Maximum Force per plate is at least of 6 kN (b) Maximum movement on each side: 50 - 80 mm (Hydraulic)	(a) Maximum Force per plate is at least of 30 kN (b) Maximum movement on each side: 100 mm (Hydraulic)
6	Electronic Steering Gear Play Detector	(a) Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^\circ$ (b) Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement (c) Measurement accuracy: $\pm 2\%$ of full-scale deflection	(a) Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^\circ$ (b) Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement (c) Measurement accuracy: $\pm 2\%$ of full-scale deflection
7	Semi-Automatic Head light tester	(a) Light Intensity range measure (min): 0-100,000 cd (b) Illumination Intensity range measure: 0-200 lux (c) Headlight tester must have ability to autofocus and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level (d) Vertical and horizontal measuring range: ± 50 cm/10 m ($\pm 5\%$) (e) Intensity maximum deviation: $\pm 5\%$ of reading. (f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails. (g) Maximum deviation of inclination measurement (vehicle orientation): $\pm 0.1\%$	(a) Light Intensity range measure: 0-100,000 cd (b) Illumination Intensity range measure: 0-200 lux (c) Headlight tester must have ability to autofocus and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level. (d) Vertical and horizontal measuring range: ± 50 cm/10 m ($\pm 5\%$). (e) Intensity maximum deviation: $\pm 5\%$. (f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails. (g) Maximum deviation of inclination measurement (vehicle orientation): $\pm 0.1\%$
8	Opacimeter	(a) Equipment to meet specifications as per MoRTH / Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115 / 116 or AIS 137 (part 8)	(a) Equipment to meet specifications as per MoRTH / Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115 / 116 or AIS 137 (part 8)
9	Exhaust gas analyzer	(a) The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115/116 or AIS 137 (b) Threshold limits as per relevant provisions in rule 115 (c) Measuring resolution to be as follows: (i) CO: 0.01% (ii) CO ₂ : 0.1% (iii) HC: 1 ppm (iv) O ₂ : 0.02% for measured values $\leq 4\%$ values & 0.1% for measured values	(a) The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115/116 or AIS 137 (b) Threshold limits as per relevant provisions in rule 115 (c) Measuring resolution to be as follows: (i) CO: 0.01% (ii) CO ₂ : 0.1%

		$\geq 4\%$ (v) Lambda: 0.001 RPM counter: 10 rpm (d) The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be ± 20 rpm or $\pm 2\%$ of the reading, whichever is greater. (e) Probe to be mechanically clamped to the tail pipe for suitable analysis of exhaust gas. Ambient air quality should not be disturbed due to exhaust gas emissions. Suitable mechanism to be incorporated for extraction of exhaust gas from the shed	(iii) HC: 1 ppm (iv) O₂: 0.02% for measured values $\leq 4\%$ values & 0.1% for measured values $\geq 4\%$ (v) Lambda: 0.001 RPM counter: 10 rpm (d) The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be ± 20 rpm or $\pm 2\%$ of the reading, whichever is greater (e) Probe to be mechanically clamped to the tail pipe for suitable analysis of exhaust gas. Ambient air quality should not be disturbed due to exhaust gas emissions. Suitable mechanism to be incorporated for extraction of exhaust gas from the shed.
10	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester	(a) Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this rule (b) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle (c) Measuring range: 20 – 160 km/h (d) Resolution: 1 km/h (e) Accuracy: $\pm 1\%$ of indicated reading	(a) Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this rule (b) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle (c) Measuring range: 25 – 100 km/h (d) Resolution: 1 km/h (e) Accuracy: $\pm 1\%$ of indicated reading
11	Sound level meter	(a) Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1 (b) Measuring level: ≥ 30dB to ≤ 120dB (c) Frequency A & C (d) Accuracy: ± 1.5 dB (e) Tripod stand mounted (f) Build battery for power source of charging from outlet of 220V AC and USB (g) Resolution: 0.1 dB The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.	(a) Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1 (b) Measuring level: ≥ 30dB to ≤ 120dB (c) Frequency A & C (d) Accuracy: ± 1.5 dB (e) Tripod stand mounted (f) Build battery for power source of charging from outlet of 220V AC and USB (g) Resolution: 0.1 dB The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.
12	OBD Scan Tool	(a) Compliant to: OBDII/EOBD/HD-	(d) Compliant to: OBDII/EOBD/HD-

		OBD/WWH-OBD Scan-Tool in accordance with SAE J1979, SAE J1939 and ISO 27145 (b) Must support all OBD modes (c) Diagnostics Communication mediums supported: KWP2000 (K-Line, CAN TP2.0 and ISO-CAN), UDS (ISO-CAN)	OBD/WWH-OBD Scan-Tool in accordance with SAE J1979, SAE J1939 and ISO 27145 (e) Must support all OBD modes (a) Diagnostics Communication mediums supported: KWP2000 (K-Line, CAN TP2.0 and ISO-CAN), UDS (ISO-CAN)
13	Test Fingers (for Electric & Hybrid-Electric Power train vehicles only)	(a) IPXXB & IPXXD test fingers	(a) IPXXB & IPXXD test fingers
14	Insulation Tester (for Electric & Hybrid-Electric Power train vehicles only)	(a) Rated measuring voltage: upto 500V DC/AC (45 to 65 Hz) (b) Measuring range: 10kΩ to 100MΩ or better (c) Accuracy: upto 10MΩ $\pm$2% of reading & above 10MΩ $\pm$5% of reading	(a) Rated measuring voltage: upto 500V DC/AC (45 to 65 Hz) (b) Measuring range: 10kΩ to 100MΩ or better (c) Accuracy: upto 10MΩ $\pm$2% of reading & above 10MΩ $\pm$5% of reading
Technical Specifications of equipment for testing Two Wheelers			
15	Roller brake tester	Parameter	Technical specifications
		(a) Maximum load charge per wheel	1 T
		(b) Maximum measurable brake load	3 kN
		(c) Minimum Roller Diameter	200 mm
		(d) Minimum Roller Separation	380 mm
		(e) Minimum Roller Length	350 mm
		(f) Minimum Wheelbase	800 mm
		(g) Maximum Wheelbase	1500 mm
		(h) Roller Surface – Minimum frictional coefficient	0.6
		(i) Roller Surface Service life	Min. 50000 hrs.
		(j) Brake load resolution	$\leq$ 100N
		(k) Brake load accuracy	$\pm$ 100 N of measured value
		(l) Approximate testing speed	5 km/h
16	Semi-Automatic Headlight tester	Parameter	Technical specifications
		(a) Light Intensity range measure (min)	0 - 100000 cd
		(b) Illumination Intensity range measure	0-200 lux
		(c) Headlight tester capable of measuring headlamp with their Centre	

		above ground level	240 mm to 1500 mm
		(d) Vertical and horizontal measuring Range	± 50 cm/10 m (±5 %)
		(e) Maximum deviation of intensity	± 5 % of reading
		(f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails	

”

12. In the said rules, in rule 190 in sub-rule (6), in table-G, after serial number 7, the following serial number shall be inserted, namely: -

“8	GPS enabled camera	a) Resolution: Minimum 20 megapixels b) Optical Zoom: 3x c) Special Features: Built-in WiFi and GPS support (High sensitivity, high precision built-in GPS in Camera should allow users to tag images with GPS coordinates, recall shooting locations and even route travelled with its logging function)”
----	--------------------	--

13. In the said rules, in Form 63, serial number 4 shall be substituted with the following –

“4. Land details	Proposed Location – Details of Ownership/ Lease (Documentary proof to be enclosed, if available)”
------------------	--

14. In the said rules, in Form 64, serial number 7 (d), after the words “automobile spares”, the words “or scrapping of vehicles,” shall be inserted.

15. In the said rules, in Form 66, serial number 1, shall be substituted with the following –

“1. Test equipment completeness and calibration

Sl. No.	Equipment	Available (Yes/No)	Functional (Yes/No)	Date of calibration
a.	Roller brake tester			
b.	Axle Weight Measurement			
c.	Suspension tester			
d.	Side slip tester			
e.	Joint Play tester			
f.	Electronic Steering Gear Play Detector			
g.	Semi-Automatic Head light tester			
h.	Opacimeter			
i.	Exhaust gas analyzer			
j.	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester			

k.	Sound level meter			
l.	OBD Scan Tool			
m.	Test Fingers			
n.	Insulation Tester			

”

16. In the said rules, in Form 67, serial number 2, shall be substituted with the following –

“1. Test equipment completeness and calibration

Sl. No.	Equipment	Available (Yes/No)	Functional (Yes/No)	Date of calibration
a.	Roller brake tester			
b.	Axle Weight Measurement			
c.	Suspension tester			
d.	Side slip tester			
e.	Joint Play tester			
f.	Electronic Steering Gear Play Detector			
g.	Semi-Automatic Head light tester			
h.	Opacimeter			
i.	Exhaust gas analyzer			
j.	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester			
k.	Sound level meter			
l.	OBD Scan Tool			
m.	Test Fingers			
n.	Insulation Tester			

17. In the said rules, in Form 68, serial number 3, shall be substituted with the following –

“3. Test Station Details

	Initial Test	1 st Re-test	Test ordered by the Appellate Authority
Station Name			
Station Address			
Date of Test			
Upload test report			

18. In the said rules, after Form 68, the following form shall be inserted, namely: –

“Form 69

[See rule 181 (7)]

FORM FOR VEHICLE TEST REPORT

Name, logo & details of the ATS Operator

QR Code

<GPS coordinated date and time>

<Picture of the Registration Plate of the Vehicle>

General Details of Automated Testing Station								
Registration No.	Location			Operating Agency Name	Test no.	Date of Test (DD-MM-YY)	Time of Test	Test Status (Initial Test / 1 st Re-Test / 2 nd Re-test ¹)
	RTO	District	State					

Due Date of Fitness test/ Re-test	
-----------------------------------	--

Details of Vehicle										
Registration No.	Vehicle Class	Make	Model	Engine Number	Chassis Number	Fuel Type	Emission Norms	Speed Governor number (if any)	GVW (kg)	Year of Mfg.

1. Automated Equipment Calibration Details

#	Name of Equipment	ID. No.	Calibration Frequency	Date of Last Calibration
1	Roller Brake Tester			
2	Equipment for Axle Weight Measurement			
3	Suspension Tester			
4	Side Slip Tester			
5	Joint Play Tester		NA	NA
6	Electronic Steering Gear Play Detector			
7	Headlight Tester (Semi-automatic / fully			

¹ Ordered by Appellate Authority

	automatic)			
8	Opacimeter / Smoke meter			
9	Exhaust Gas Analyzer			
10	Speedometer/ Speed Governor Tester			
11	Sound level meter			
12	Test fingers		NA	NA
13	Insulation Tester			
14	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)		NA	NA

2. Inspection Result

(a) For Quadricycles, Light, Medium & Heavy Motor Vehicles

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P-Pass / F-Fail)
Part A: Automated Tests – Defining ELV or Fitness					
1	(a) Left headlamp dipped beam vertical deviation (%)	1 (a)			
	(b) Right headlamp dipped beam vertical deviation (%)	1 (b)			
2	(a) Exhaust gas emission – CO%	11 (a)			
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	11 (b)			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	11 (c)			
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda λ	11 (d) (iv)			
	(e) Smoke density (m^{-1})	11 (e)			
3	Service brake efficiency (%)	12 (a)			
4	Steering gear free play (degrees)	13			
Part B: Automated Tests – Defining Fitness					
5	Speed Governor	27			
Part C: Automated Tests – Additional information about health of the vehicle					
6	Side Slip Test	14			NA
7	Suspension Test	15			NA
8	Joint Play Test	16			NA
9	Parking Brake efficiency (%)	12 (b)			NA
10	Speedometer Test	17(a)			NA
Part D: Non-Automated Tests (for electric vehicles (EV) & hybrid-electric power train vehicles) – Defining					

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P-Pass / F-Fail)
ELV or Fitness					
11	Protection against electric shock. (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	31			
12	Insulation Resistance Measurement Test (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	32			
Part E: Non-Automated Tests – Defining Fitness					
13	Headlamps Assembly	2			
14	Lights	3			
15	Suppressor cap/ High tension cable	4			
16	Rear view mirrors	5			
17	Safety glass (Windscreen)	6			
18	Horn	7			
19	Silencer	8 (a)			
20	(a) Windscreen wiper blades	9 (a)			
	(b) Windscreen wiper system	9 (b)			
21	Dashboard equipment	10			
22	Rear under run protection device (RUPD) (For N2, N3, T3 and T4)	18			
23	Lateral under run protection device (LUPD) (For N2, N3, T3 and T4)	19			
24	FASTag	20			
25	Priority Seats, Signs, securing of crutches/ canes/walker, handrail/stanchions, controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility (Only for buses)	21			
26	Wheel-chair arrangements for differently abled passengers and passengers with reduced mobility (Only for buses)	22			
27	Vehicle Location Tracking (VLT) Device	23			
28	High Security Registration Plate (HSRP)	24			
29	Battery	25			
30	Safety belt (Seatbelt)	26			
31	Spray Suppression Devices (For all N, T3 and T4)	28			

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P-Pass / F-Fail)
32	Tyres	29			
33	Retro- Reflector and reflective tapes	30			
34	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard (for electric vehicles)	33			
Part F: Non-Automated Test – Additional information about health of the vehicle					
35	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)	39			
36	Exhaust Noise Test (dB)	8 (b)			

(b) For Three Wheelers

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P- Pass / F-Fail)
Part A: Automated Tests – Defining ELV or Fitness Criteria					
1	(a) Exhaust gas emission – CO%	11 (a)			
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	11 (b)			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	11 (c)			
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda λ	11 (d)			
	(e) Smoke density (m^{-1})	11 (e)			
2	Service brake efficiency (%)	12 (a)			
3	Speedometer (For E-rickshaw or E-cart)	17 (b)			
Part C: Automated Tests – Additional information about health of the vehicle					
4	Parking Brake efficiency (%)	12 (b)			NA
Part D: Non-Automated Tests (for electric vehicles (EV) & hybrid-electric power train vehicles) – Defining ELV or Fitness					
5	Protection against electric shock. (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	31 or 37			
6	Insulation Resistance Measurement Test (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	32 or 38			
Part E: Non-Automated Tests – Defining Fitness					
7	Headlamps Assembly	2			
8	Lights	3			
9	Suppressor cap/ High tension cable	4			

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P- Pass / F- Fail)
10	Rear view mirrors	5			
11	Safety glass (Windscreen)	6			
12	Horn	7			
13	Silencer	8 (a)			
14	(a) Windscreen wiper blades	9 (a)			
	(b) Windscreen wiper system	9 (b)			
15	Dashboard equipment	10			
16	High Security Registration Plate (HSRP)	24			
17	Battery	25			
18	Tyres	29			
19	Retro- Reflector and reflective tapes	30			
20	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard (Only for electric vehicles)	33			
Part F: Non-Automated Test – Additional information about health of the vehicle					
21	Exhaust Noise Test (dB)	8 (b)			

(c) For Two Wheelers

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P- Pass / F- Fail)
Part A: Automated Tests – Defining ELV or Fitness Criteria					
1	Headlight passing beam vertical deviation (%)	34			
2	(a) Exhaust gas emission – CO%	35 (a)			
	(b) Exhaust gas emission – HC (ppm)	35 (b)			
	(c) Exhaust gas emission (High idle emission) – CO%	35 (c)			
	(d) Exhaust gas emission (High idle emission) – Lambda λ	35 (d)			
Part C: Automated Tests – Additional information about health of the vehicle					
3	Brake efficiency (%)	36			
Part D: Non-Automated Tests (for electric vehicles (EV) & hybrid-electric power train vehicles) – Defining ELV or Fitness					
4	Protection against electric shock. (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if	31 or 37			

Sl. No.	Name of Test	As per rule 189 Table D	Applicable (Yes/No)	Recorded Value / Observation	Result (P- Pass / F- Fail)
	system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)				
5	Insulation Resistance Measurement Test (For electric & hybrid-electric power train vehicles only, if system voltage is > 60 V DC or 30 V AC)	32 or 38			
Part E: Non-Automated Test – Additional information about health of the vehicle					
6	Malfunction Indicator Lamp - MIL (part of OBD Scan Tool)	39			

3. Overall Results

--

4. Summary (Issues identified):

--

5. Inspection Photos (to be uploaded):

6. Inspecting officer notes:

--

Digital signature of ATS operator

[F. No. RT-25035/05/2021-RS]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 652(E), dated 23 September 2021.